भारत सरकार

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 264

21 जुलाई,2026 को उत्तरार्थ

विषय: कृषि की ओर फिर से लौटना

264. श्री नीरज मौर्यः

श्री बाबू सिंह कुशवाहाः

श्री लालजी वर्माः

क्या **कृषि और किसान कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या हाल ही में जारी आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) के आंकड़ों से यह संकेत मिलता है कि ग्रामीण भारत से रोजगार की तलाश में प्रवास करने वाले बहुत से लोग बाहर रोजगार के सीमित अवसरों के कारण कृषि कार्य की ओर लौट रहे हैं यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है,

(ख) कृषि कार्यबल में वृद्धि को देखते हुए, प्राकृतिक खेती, सूक्ष्म सिंचाई, जैविक खेती और फसल विविधीकरण जैसी सतत और लाभकारी कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा क्या योजनाबद्ध कदम उठाए जा रहे हैं;

(ग) कृषि की ओर लौटने वाले व्यक्तियों, विशेषकर भूमिहीन, सीमांत और छोटे किसानों को ऋण, प्रशिक्षण, आधुनिक कृषि प्रौद्योगिकी और बुनियादी अवसंरचना तक पहुंच प्रदान करने के संबंध में सरकार द्वारा किए जा रहे उपायों का ब्यौरा क्या है;

(घ) कृषि क्षेत्र पर बढ़ते दबाव को कम करने और अधिक भीड़ को रोकने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में वैकल्पिक रोजगार के अवसर सृजित करने के लिए सरकार की रणनीति क्या है; और

(ङ) क्या सरकार के पास इस बारे में उत्तर प्रदेश, विशेषकर आंवला, जौनपुर और अंबेडकर नगर लोक सभा क्षेत्रों सहित बरेली, बदायूं और शाहजहांपुर जिलों से संबन्धित कोई आंकड़े हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री रामनाथ ठाकुर)

(क): विभिन्न सामाजिक-आर्थिक कारणों से श्रमिकों का ग्रामीण से शहरी तथा शहरी से ग्रामीण क्षेत्रों की ओर आवागमन एक सामान्य घटना है। सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई) द्वारा किए गए आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) के अनुसार, पिछले तीन वर्षों में कृषि क्षेत्र (ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों को मिलाकर) में कार्यरत श्रमिकों का प्रतिशत वितरण क्रमशः 46.1% (वर्ष 2023 में), 44.8% (वर्ष 2024 में) और 43% (वर्ष 2025 में) रहा है।

(ख) एवं (ग): कृषि एक राज्य का विषय है। भारत सरकार कृषि क्षेत्र में उत्पादकता, लाभप्रदता और सततता में सुधार के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) के माध्यम से उपयुक्त नीतिगत उपायों, विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों, बजटीय सहायता और मूल्य समर्थन द्वारा राज्यों के प्रयासों में सहायता करती है। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग (डीए एंड एफडब्ल्यू) लघु एवं सीमांत किसानों सहित, किसानों को संस्थागत ऋण, प्रशिक्षण, आधुनिक कृषि प्रौद्योगिकी और कृषि अवसंरचना तक बेहतर पहुंच प्रदान करके उनको सहायता करने के लिए कई केंद्रीय क्षेत्र और केंद्र प्रायोजित योजनाओं को कार्यान्वित कर रहा है।

विभिन्न केंद्रीय क्षेत्र और केंद्र प्रायोजित योजनाओं के माध्यम से प्राकृतिक खेती, सूक्ष्म सिंचाई, जैविक खेती और फसल विविधीकरण सहित सतत कृषि पद्धतियों को बढ़ावा दिया जा रहा है। राष्ट्रीय प्राकृतिक कृषि मिशन (एनएमएनएफ) मृदा स्वास्थ्य में सुधार और इनपुट लागत को कम करने के लिए रसायन-मुक्त और कम लागत वाली कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देता है। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (पीएम-आरकेवीवाई) के अंतर्गत 'प्रति बूंद अधिक फसल' (पीडीएमसी) घटक ड्रिप और स्प्रिंकलर सिंचाई के माध्यम से जल के कुशल उपयोग को बढ़ावा देता है। यह जल संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग और कम जल उपलब्धता के समय जल की उपलब्धता को अनुकूलित करने में सहायता करता है। परंपरागत कृषि विकास योजना (पीकेवीवाई) और पूर्वोत्तर क्षेत्र जैविक मूल्य श्रृंखला विकास मिशन (एमओवीसीडीएनईआर) के माध्यम से जैविक खेती को समर्थन दिया जाता है, जबकि राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई) के तहत फसल विविधीकरण को प्रोत्साहित किया जाता है। इसके अतिरिक्त, किसानों को जलवायु-अनुकूलित, उच्च मूल्य वाली और विविध फसलों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु मृदा स्वास्थ्य एवं उर्वरता (एसएच एंड एफ), राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन (एनएमईओ)-ऑयल पाम, राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन (एनएमईओ)-तिलहन, दलहन आत्मनिर्भरता मिशन जैसी योजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं।

संस्थागत ऋण तक पहुंच में सुधार लाने के लिए सरकार ने कई उपाय किए हैं, जिनमें बैंकों के लिए जमीनी स्तर के कृषि ऋण (जीएलएसी) लक्ष्यों का वार्षिक निर्धारण, प्राथमिकता क्षेत्र ऋण (पीएसएल) लक्ष्यों का निर्धारण और किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) योजना और संशोधित ब्याज सब्सिडी योजना (एमआईएसएस) के माध्यम से किफायती अल्पकालिक फसल ऋण उपलब्ध कराना शामिल है। कृषि विश्वविद्यालयों (एयू) और कृषि विज्ञान केंद्रों (केवीके) के माध्यम से किसानों का क्षमता निर्माण और कौशल विकास किया जाता है। संरचित प्रशिक्षण कार्यक्रम कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन एजेंसी (एटीएमए), कृषि यंत्रीकरण उप-मिशन (एसएमएएम) और कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अन्य प्रमुख कार्यक्रमों जैसे राष्ट्रीय प्राकृतिक कृषि मिशन (एनएमएनएफ), राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन (एनएमएसए), राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एवं पोषण मिशन (एनएफएसएनएम), एकीकृत बागवानी विकास मिशन (एमआईडीएच) आदि का अभिन्न अंग हैं, जिन्हें राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में कार्यान्वित किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त, सरकार कृषि अवसंरचना कोष (एआईएफ) जैसी पहलों के माध्यम से कृषि अवसंरचना को सुदृढ़ कर रही है। एआईएफ फसलोपरांत प्रबंधन अवसंरचना और सामुदायिक कृषि संपत्तियों के विकास के लिए मध्यम और दीर्घकालिक ऋण वित्तपोषण प्रदान करता है। इस योजना के तहत, भारत सरकार 3% प्रति वर्ष ब्याज सब्सिडी के माध्यम से ऋण सहायता प्रदान करती है।

(घ) एवं (ङ): भारत सरकार कृषि को अधिक लाभकारी, सतत और रोजगारोन्मुखी बनाने के उद्देश्य से विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों को कार्यान्वित कर रही है, ताकि किसानों की आय में वृद्धि हो, कृषि उत्पादकता में सुधार हो और ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर सृजित हों। इन पहलों के तहत, किसानों, किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) और स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) को रोजगार सृजन, उद्यमिता विकास और ग्रामीण क्षेत्रों में आय वृद्धि को बढ़ावा देने के लिए वित्तीय सहायता और सब्सिडी प्रदान की जाती है। इसके अतिरिक्त, भारत सरकार सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई), विनिर्माण और सेवा क्षेत्रों में लक्षित हस्तक्षेपों और उपायों के माध्यम से रोजगार के अवसरों और कौशल विकास को भी बढ़ावा दे रही है। विभाग रिवर्स माइग्रेशन या रिवर्स माइग्रेशन के कारण कृषि कार्यबल में हुई वृद्धि से संबंधित आंकड़े नहीं रखता है।
